भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1384

(दिनांक 31.07.2024 को उत्तर के लिए)

आरक्षित श्रेणी की रिक्तियां

1384. श्री डी.एम. कथीर आनंद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

31 मई, 2024 के अनुसार देश में केन्द्र सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/पीएसबी/संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों में ओबीसी/बीसी श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्र सरकार में पदोन्नतियों के मामले में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समूह 'क' के निम्नतम स्तर पर क्रमशः 15% और 7.5% का आरक्षण प्रदान किया जाता है।

आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों सहित रिक्त पदों का होना तथा उन्हें भरा जाना, एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियों के संबंध में आंकड़ों का रख-रखाव, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं।

****